इकाई ८ पाकिस्तान में सैनिक शासन एवं राजनीति

इकाई की रूपरेखा

८.० उद्देश्य

८.१ प्रस्तावना

८.२ पाकिस्तान का राजनीतिक विकास, 1947-58

८.३ सैनिक हस्तक्षेप की सैद्धान्तिक व्याख्याएँ

८.४ राजनीतिक प्रक्रिया में सेना का हस्तक्षेप

८.५ सारांश

८.६ शब्दावली

८.७ कुछ उपयोगी पुस्तकें

८.८ बोध प्रश्नों के उत्तर

८.० उद्देश्य

राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप विकासशील विश्व की प्रमुख विशेषता बन गई है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में बार-बार सैनिक हस्तक्षेप हुए। इस अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप-

- पाकिस्तान में लोकतंत्रा की विफलता के कारणों की व्याख्या कर पाएँगे;
- देश में नागरिक सैनिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत कर पाएँगे;
- देश में सैनिक शासन के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत कर पाएँगे; और
- पाकिस्तान की राजनीतिक प्रणाली में सेना की भूमिका का विश्लेषण कर पाएँगे।

८.१ प्रस्तावना

इस अध्याय में देश के घरेलू राजनीतिक विकास के अति महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् राजनीतिक प्रणाली में सेना की भूमिका का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह मुद्दा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ही यह पता चलता है कि आज राजनीतिक संस्थाओं की दुर्दशा क्यों है? आरम्भिक वर्षों में राजनीतिक स्थिरता लाने में राज्य की अक्षमता के कारण राजनीतिक दलों, दबाव समूहों, संसद, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका जैसी परम्परागत संरचनाओं का पतन हुआ और संविधान व अन्य राजनीतिक प्रक्रियाओं का अंत हो गया जिसके परिणामस्वरूप संस्था के रूप में सेना सुदृढ़ हो गई क्योंकि असैनिक सरकारों की बार-बार विफलताओं के कारण उत्पन्न हुए राजनीतिक शून्य में यह वैकल्पिक संगठित शक्ति के रूप में कार्य कर सकी।

८.२ पाकिस्तान का राजनीतिक विकास

स्वतंत्राता के बाद के वर्षों में पाकिस्तान के समक्ष कई गंभीर समस्याएँ थीं। पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में विभाजन, जिसमें पूर्वी क्षेत्रा घनी आबादी वाला था जबकि राजनीतिक शक्तियों का अधिक संचालन पश्चिमी क्षेत्रा में हो रहा था, जिनके कारण देश के समक्ष गंभीर राजनीतिक व संस्थागत चुनौतियां खड़ी हो गईं। दूसरे, विभाजन के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा शरणार्थियों के आने से सीमित संसाधनों वाले नवगठित राज्य पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया। तीसरे, १९४८ में कायद-ए-आज़म की मृत्यु तथा १९५१ में लियाकत अली खान की हत्या के उपरान्त देश के समक्ष नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। नेतृत्व के अभाव में पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग की पकड़ पहले से भी कमजोर हो गई। संघीय सरकार तथा इसकी संस्थाओं के न होने के कारण नए राष्ट्र के सामने कई प्रकार के संकट थे - वैधता, भागीदारी, वितरण इत्यादि। इन सबके कारण सेना तथा नागरिक नौकरशाही की शक्तियाँ बढ़ीं जिनका देश के बाद के राजनीतिक इतिहास पर प्रभाव पड़ा।

जिस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने नए राज्य में सरकार बनाई, उस की उन प्रान्तों में पकड़ मजबूत नहीं थी जो पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान के गठन में सफलता प्राप्त करने तथा नए राज्य में प्रारम्भिक प्रगति के तीन वर्षों के उपरांत सिद्धान्तों तथा कार्य करने के ढंग के रूप में पार्टी समय के साथ नहीं चल सकी। शीघ्र ही ऑल इण्डिया मुस्लिम लीग में विभाजन हो गया और यह व्यक्ति विशेष के इर्द-गिर्द कई समूहों में विभक्त हो गई। न ही प्रमुख पार्टी और न ही इससे अलग हुए समूह आम जनता में अपनी पैठ मजबूत कर सके।

विभिन्न संस्थाओं में मतभेद उभर कर सामने आए। १९५४ में संविधान सभा में बिल लाया गया जिसके अन्तर्गत गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्राी के परामर्श पर कार्य करना था। गवर्नर जनरल ने बिल पारित होने से पहले ही मंत्रिामंडल बर्खास्त कर दिया, सभा भंग कर दी तथा इस आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया कि ''संस्थाएँ कार्य नहीं कर पा रही थी।'' गवर्नर जनरल के असंवैधानिक कार्य को न्यायपालिका द्वारा वैधता दे दी गई। अक्तूबर, १९५४ में प्रधानमंत्राी मौहम्मद अली बोगरा ने एक अन्य मंत्रिामंडल का गठन किया। कमांडर-इन-चीफ होने के साथ-साथ अयूब खान इस मंत्रिामंडल में रक्षा मंत्राी थे। १९५३ से १९५८ के मध्य राजसी षडयंत्राों के कारण ७ प्रधानमंत्राी बनाए तथा हटाए गए। सरकार द्वारा समर्थित रिपब्लिक पार्टी के गठन से राजनीतिक प्रणाली और कमजोर हो गई।

संविधान का गठन करने में संविधान सभा को ७ वर्ष का समय लगा। संविधान के गठन में विलम्ब कई मुद्दों, विशेषकर राज्य में इस्लाम की भूमिका पर चर्चा के कारण हुआ। नए राज्य में धर्म की भूमिका पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। १९४९ का ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन तथा बेसिक समिति की रिपोर्ट भी गर्मागर्म बहस का मुद्दा बने। चर्चा का एक अन्य मुद्दा था - राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति - संघीय अथवा एकात्मक संयुक्त अध्यक्षीय अथवा संसदीय अथवा अलग मतदाता समूह। यह विडम्बना थी कि सरकार के संसदीय रूप को प्रतिपादित करने वाला दुर्भाग्यपूर्ण संविधान १९५६ में गठित किया गया, उसके दो वर्ष बाद ही इसको निरस्त कर दिया गया। गुलाम मौहम्मद के उत्तराधिकारी जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा (जो रक्षा मंत्राी के सचिव भी थे) को यह लगा कि नए संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए उसका चुनाव नहीं हो सकता तो उसने अक्तूबर, १९५८ में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को खारिज कर दिया तथा मार्शल लॉ घोषित कर दिया परन्तु उसकी सेना पर दबाव स्थापित करने की आशाओं के विपरीत उसे त्यागपत्रा देना पड़ा तथा स्वयं अयूब खान ने शासन की बागडोर संभाली जो मार्च, १९६९ तक उसके पास रही और उसके उपरांत जनरल याहया खान के हाथों में चली गई।

पहले चरण के अन्त की स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कीथ कलार्ड (Keth Callard) ने लिखा है कि सेना द्वारा औपचारिक रूप से सत्ता संभालने से पहले ही राजनीतिक दल कमजोर पड़ चुके थे तथा इनकी शक्तियाँ प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही थी। राजनेतिक

नेता लड़-झगड़ रहे थे तथा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। धार्मिक नेताओं ने पूर्ण अधिकार का दावा किया है परन्तु उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इसी बीच देश सिविल सेवा अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा था तथा इन्हें स्वतंत्राता पूर्व की भांति सेना का समर्थन प्राप्त था।

संविधान आयोग ने १९६१ में संसदीय लोकतंत्रा की विफलता के लिए निम्नलिखित कारणों की पहचान की:-

१) "उपयुक्त चुनावों की कमी तथा पिछले संविधान की कमियाँ"।

२) "प्रान्तों में सरकारों के कार्यकलापों में मंत्रियों तथा राजनीतिक दलों सहित राज्य अध्यक्षों तथा केन्द्र सरकार का अनुचित हस्तक्षेप।"

३) "नेतृत्व के अभाव के परिणामस्वरूप संयोजित तथा संगठित दलों की कमी रही राजनेताओं में सामान्य चरित्रा की कमी रही तथा प्रशासन में उनका अनुचित हस्तक्षेप रहा।"

बोध प्रश्न-१

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

१) "पाकिस्तान के गठन के समय से ही लोकतंत्रा की जड़ें कमजोर थीं।" इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

.....

.....

.....

२) पाकिस्तान के आरम्भिक वर्षों में मुस्लिम लीग की भूमिका का आप कैसे मूल्यांकन करते हैं?

.....

.....

.....

८.३ सैनिक हस्तक्षेप की सैद्धान्तिक व्याख्याएँ

नागरिक-सैनिक संबंधों पर सिद्धान्तों का सर्वाधिक रूचिकर पहलू यह है कि यद्यपि ये सिद्धान्त किसी मॉडल पर आधारित किसी एक अथवा अन्य स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु ये सिद्धान्त कई अन्य पहलुओं की अनदेखी करते हैं। ऐसा सिद्धान्त के महत्व को कम आंकने के लिए नहीं अपितु विशेषकर पाकिस्तान जैसे देश के संदर्भ में मुद्दे की गत्यात्मकता पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। एशियाई सिद्धान्तों में सैनिक हस्तक्षेप के प्रारम्भिक सिद्धान्तों में, उदाहरण के तौर पर, सैम्यूअल पी. हटिंगटन (Samuel P. Huntington) का सिद्धान्त है जिन्होंने असैनिक लोकतांत्रिाक राज्य में सेना की परिकल्पना उसके अधीन सहयोगी के रूप में की है। उसका कहना है कि "प्रीटोरियन" राज्यों में असैनिक संस्थाएँ कमजोर हैं। संस्था तथा नेतृत्व में शून्य की स्थिति के कारण समूह निजी हितों की पूर्ति हेतु नियंत्राण अपने हाथ में ले पाते हैं तथा सेना स्वयं को सत्ता के अन्य संभावित दावेदारों में से एक मानती है। उसके अनुसार प्रीटोरियन राज्य वह राज्य है जिसमें राजनीतिक संस्थाकरण के अभाव में सामाजिक संरचनाओं का राजनीतिकरण होता है।

इस तर्क से यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तानी सेना ने १९५८ में हस्तक्षेप क्यों किया परन्तु इससे इस बात की व्याख्या नहीं मिलती कि ऐसा राज्य जिस पर लगभग दो शताब्दियों तक राजनीतिक शासन रहा तथा जो अनिवार्य रूप से पश्चिमी मॉडल की विशेषताओं से युक्त था, वह अन्ततः सैनिक राज्य कैसे बन गया? १९५८ की पाकिस्तानी सेना १९४७ की सेना से काफी भिन्न थी। १९४७ की सेना की तुलना में यह अधिक व्यावसायिक और संगठित थी। इसके विपरीत १९४७ में राजनीतिक ढांचे के नाम पर जो कुछ भी बचा था, उसका पतन हो गया तथा परिणामस्वरूप यह ऐसी स्थिति पर जा पहुँचा जहाँ सैनिक नियंत्राण ही एकमात्रा विकल्प लगने लगा। इससे हटिंगटन का यह दावा सिद्ध होता है कि सैनिक व्यवसायवाद में वृद्धि सैनिक हस्तक्षेप के विपरीत रूप से संबंधित है, इसका अर्थ यह हुआ कि सेना का लक्ष्यपरकता के प्रति आधुनिक व्यवसायवादी रूप तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था सेना को राजनीतिक हस्तक्षेप के विरूद्ध प्रवृत्त करते हैं।

लुशियन पाय (Lucian Pye) तथा मॉरिस जैनोविट्ज (Morris Janowitz) जैसे विद्वानों ने सेना को सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की शक्तियों के प्रति अधिक संवेदनशील माना है। सैनिक हस्तक्षेप को सेना के गुणों के परिणाम बताकर सेना को संगठित शक्ति के रूप में आधुनिकीकरण का माध्यम माना है।

पाकिस्तान के संबंध में विशेष बात यह है कि यहाँ बार-बार सैनिक हस्तक्षेप हुए साथ ही बीच-बीच में असैनिक शासन भी चलते रहे। असैनिक शासन की श्रेष्ठता की वैधता सैद्धान्तिक रूप से विद्यमान है। यह इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि अयूब से लेकर मुशर्रफ तक- सभी जनरलों ने आरम्भ में सत्ता हथियाकर जितनी जल्दी संभव हो, असैनिक व्यवस्था की ओर वापस जाने का आश्वासन दिया। हाल ही का जनरल मुशर्रफ का उदाहरण है जिसने व्यापक न्यागमन कार्यक्रम आरम्भ किया है ताकि निचले स्तर पर सहभागितापूर्ण लोकतंत्रा की स्थापना का दिखावा किया जा सके। इस घोषणा का अर्थ इस बात से स्पष्ट होता है कि जनरल ज़िया, जिसने ९० दिनों में चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, अपने शासनकाल के अंतिम चरण में ही वास्तव में चुनाव करा सका जिसे ''पार्टी रहित चुनावों'' के नाम पर चुनाव का पाखंड कहा जा सकता है।

असैनिक शासन काल के दौरान इन संबंधों की प्रकृति पाकिस्तान के नागरिक-सैनिक संबंधों का कम चर्चित पहलू है। अन्य शब्दों में, जिन पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है, वे हैं:- अव्यवस्थित नागरिक व्यवस्था के अंत में बार-बार सैनिक हस्तक्षेप। जब-जब असैनिक शासक सत्ता में आए उन्होंने सेना को नियंत्राण में रखने के तरीके अपनाए, इस तथ्य पर अधिक चर्चा नहीं की गई है। इस तथ्य की व्याख्या इस रूप में दी जा सकती है कि सामान्य असैनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री प्रभुत्व एक स्वीकृत तथ्य है। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि पाकिस्तान में सेना को भिन्न रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा करने के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना अब सर्वमान्य राजनीतिक संस्था भी बन गई है।

८.४ राजनीतिक प्रक्रिया में सेना का हस्तक्षेप

किसी भी अन्य असैनिक शासन की सेना की भांति आरम्भ में पाकिस्तानी सेना देश की बाह्य सुरक्षा की संरक्षक थी। स्टीफन कोहन (Stephen Cohen) तथा हसन अस्कारी रिज़वी (Hasan Askari Rizvi) का मानना है कि ब्रिटिश भारतीय सेना में पूर्ण रूप से मुस्लिम इकाईयाँ नहीं थीं (जैसेकि पूर्ण रूप से हिन्दू अथवा सिक्ख इकाईयाँ थीं) जोकि १८५७ की क्रान्ति के समय से मुसलमानों के प्रति ब्रिटिश अविश्वास का प्रतीक है जबकि क्लाले (Cloughlay) का कहना है कि ''इंडियन'' रेजीमेंट - जैसेकि जाट, राजपूत, सिक्ख तथा डोगरा रेजीमेंट भारत में गए जबकि बलूच तथा फ्रंटीयर फोर्स रेजीमेंट पाकिस्तान को आवंटित किए गए। पंजाब बैज धारण करने वाली पांच रेजीमेंटो को दोनों देशों में बांटा गया। यह विभाजन ६४ : ३६ के अनुपात में किया गया, जो मोटे रूप से साम्प्रदायिक संतुलन के अनुरूप था।

नई पाकिस्तानी सेना लगभग पूर्ण मुस्लिम थी जिसमें पंजाबी तथा पठानों की संख्या अधिक थी। १९५५ में अधिकारियों के काडर में पूर्वी पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व केवल १.५७ प्रतिशत था। १९६३ तक सेना अधिकारियों में बंगालियों का अनुपात बढ़कर ५ प्रतिशत हो गया था। यद्यपि हाल के वर्षों में पाकिस्तान के चार प्रमुख थल सेना रेजीमेंट पंजाब, बलूच, फ्रंटीयर फोर्स तथा सिंध है तथापि राष्ट्रीय जनसंख्या में अनुपात के अनुरूप सभी संजातीय वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। बलूच रेजीमेंटों की कुछ इकाइयों में कोई बलूची नहीं है तथा पठान तथा सिंधी भी बहुत कम हैं।

असैनिक प्रशासनिक कार्यों में सेना का बढ़ता हुआ उपयोग पाकिस्तान जैसे नए राज्य की प्रमुख विशेषता है। १९४८ में सिंध नदी से सुक्कर बांध पर खतरा उत्पन्न हो गया जिससे सिंध में शिकारपुर तथा रोहड़ी में बांध में दरार पड़ गई तथा क्वेटा में रेल - सड़क मार्ग कट गया, ऐसे समय में सेना की सेवाएँ ली गईं। १९४९ में रावी नदी के पानी से जहांगीर की कब्र को बचाने के लिए सेना की मदद ली गई। अगले वर्ष सितम्बर में लाहौर शहर को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। १९५२ में सेना को पटसन के तस्करी विरोधी कार्यक्रम में शामिल किया गया। अगले वर्ष अहमदिया - विरोधी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए इसे बुलाया गया।

इस प्रकार से ५० के दशक के मध्य तक यद्यपि इसकी कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक भूमिका नहीं थी फिर भी पाकिस्तान में सेना निर्णय लेने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। राजनीतिक क्षेत्रा में भूमिका का एक उदाहरण रावलपिंडी षडयंत्रा मामला था जब सेना के ११ अधिकारियों तथा तीन असैनिक अधिकारियों ने १९५६ में शीर्ष स्तर के सैनिक अधिकारियों को पकड़ने तथा साम्यवादी प्रकार की तानाशाही स्थापित करने के लिए सत्ता हथियाने का षडयंत्रा रचा। प्रान्त में उत्पन्न गंभीर खाद्य संकट से निपटने के लिए, जोकि अधिकांशत: राजनीतिक कुप्रबंधन का परिणाम था, सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आपरेशन सर्विस फर्स्ट आरम्भ किया। दिसम्बर, १९५७ में सेना ने तस्करी-विरोधी अभियान के रूप में तीसरा असैनिक अभियान (आपरेशन क्लोज़्ड डोर) आरम्भ किया।

अयूब खान के शासन के दौरान (१९५८-१९६९) सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों का ऐसा वर्ग बन गया जो निजी तथा सार्वजनिक उद्यमों में शीर्षस्थ पदों पर था। नए संविधान में देश की सत्ता के ढांचे में सेना की भूमिका को संस्थागत रूप दिया गया। संविधान के अनुच्छेद १७ में राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च कमांडर घोषित किया गया जिसे सेना के चीफ कमांडर नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। एक और उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद २३८ में यह घोषणा की गई कि संविधान लागू होने के पहले २० वर्षों में रक्षा मंत्राालय का अध्यक्ष वहीं व्यक्ति हो सकता है जो सेना में लेफ्टिनेंट जनरल या इसके समकक्ष पद का रहा हो।

अयूब खान ने अपनी राजनीतिक संरचना को लोकतंत्रा जैसी संरचना बनाने के प्रयास किए। कार्यकारिणी शाखा पर पूर्णत: राष्ट्रपति का नियंत्राण था, अत: राष्ट्रपति का चुनाव ८०,००० बेसिक डेमोक्रेट्स अथवा यूनियन काउंसिलरों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया गया। उनमें से प्रत्येक १,००० के लगभग व्यस्क मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता था जिन्होंने उसे चुनकर भेजा था। २० बेसिक डेमोक्रेट लोगों को ग्रामीण क्षेत्राों में यूनियन कांउसिल और शहर में वार्ड काउंसिल बनानी थीं। चूंकि प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय सभाओं को वित्तीय बिलों में सीमित अधिकार दिए गए थे, इस लिए उनके अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। असैनिकों से संबंध की दृष्टि से अयूब खान प्रमुखत: असैनिकों पर ही निर्भर था। १९५८ में उसका डिप्टी चीफ मार्शल प्रशासक अजीज अहमद एक असैनिक था। वह सरकार का प्रमुख सचिव भी था तथा पूर्ण सरकारी तंत्रा का रोजमर्रा का नियंत्राण उसके हाथ में था। सरकार के नव नियुक्त असैनिक प्रमुख सचिव तथा केन्द्र सरकार के आठ मंत्राालयों के असैनिक सचिवों को मिलाकर परामर्शदात्राी परिषद का गठन किया गया तथा सेना को गलियों से हटने के आदेश दिए गए।

१९६२ के बाद तक भी जब अयूब के शासन में स्थिरता आ चुकी थी, वरिष्ठ सिविल सेवाकर्मी शासन का प्रमुख हिस्सा बने रहे। उसके वरिष्ठ परामर्शकर्ता सिविल सेवा अधिकारी थे। सिविल सेवाकर्मियों ने सभी नीति निर्माण के पदों पर एकाधिकार जमा लिया तथा धीरे-धीरे सभी निगमों और स्वायत पदों पर कब्जा कर लिया।

अयूब खान के सुधार लागू नहीं हो पाए तथा १९६६ में शासन की संसदीय प्रणाली की मांग उठने लगी परन्तु वास्तविक समस्या १९६५ में भारत के साथ युद्ध की थी जिसने उसके शासन के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। १९६९ तक अयूब खान को अपने सैनिक कमांडरों का समर्थन मिलना बंद हो गया था। जब वह सत्ता को और नहीं संभाल सका तो उसने इस की बागडोर सेना के कमांडर-इन-चीफ, जनरल याहया खान को यह सोचकर सौंप दी कि सेना ही देश में शासन संभालने का ''वैधानिक और कारगर हथियार'' थी।

१९७१ में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार तथा समर्पण और बांगलादेश के अलग राष्ट्र बनने से लोगों का सेना पर से विश्वास उठ गया। १९७० के चुनावों के अध्यादेश के आधार पर जुल्फीकार अली भुट्टो ने देश की बागडोर संभाली। पाकिस्तानी सिविल सेवा समाप्त कर दी गई तथा एकल समेकित सेवा स्थापित की गई। अन्य व्यवसायों से प्रवेश की अनुमति मिलने से नौकरशाही शक्तियों को और धक्का पहुंचा। सार्वजनिक क्षेत्रा के विस्तार में भुट्टो की पाकिस्तान पीप्लस पार्टी (पी. पी. पी.) तथा सिविल सेवाकर्मियों के बीच धांधली का खुलासा हुआ तथा १,३०० अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया।

भुट्टो ने अपने शासन का आरम्भ नागरिक शासन को अधिक मान्य रूप में स्थापित करने के साथ किया। पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक हार तथा पश्चिमी पाकिस्तान में समर्थन की जांच करने के लिए उसने पाकिस्तान के तत्कालीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में हमुदूर रहमान जाँच आयोग का गठन किया। सेवा प्रमुखों को बदला गया, बड़ी संख्या में असैनिक अधिकारियों को हटाया गया। सेवा प्रमुख का पदनाम कमांडर-इन-चीफ से बदलकर चीफ किया गया। राष्ट्रपति ही कमांडर-इन-चीफ बन गया। स्टाफ के संयुक्त प्रमुख को स्थायी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इसका अभिप्राय: सेना प्रमुखों के अधिकारों को कम करना था। उप-सेना प्रमुखों (Vice Chiefs) को भी स्थायी अध्यक्ष के अन्तर्गत लाया गया। सेना प्रमुखों का कार्यकाल ४ वर्ष निर्धारित किया गया तथा १९७५ में इसे घटाकर ३ वर्ष कर दिया गया। पाकिस्तान के १९७३ के संविधान में पहली बार सेना के कार्यकलाप निर्धारित किए गए। अनुच्छेद २४५ में कहा गया कि सेना का कार्य ''देश को बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध के खतरे से बचाना था तथा कानून के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जाने पर सिविल कार्यों में सहायता करना था।'' संविधान में उच्च देशद्रोह खण्ड भी जोड़ा गया।

इसके बाद भी सेना को १९७२-१९७७ के दौरान कई बार नागरिक प्रशासन में सहायता के लिए बुलाया गया। १९७२ में सिंध के भाषायी दंगों; १९७३ में बलूचिस्तान में राज्य प्रतिरोध दबाने में; डीर में जून, १९७४ में अहमदिया विरोधी दंगों तथा अक्तूबर, १९७६ में फ्रंटीयर प्रान्त में सेना भेजी गई । १९७०-१९७१ तथा १९७५-१९७६ के दौरान रक्षा बजट में ८९ प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछली किसी भी सरकार की तुलना में सेना को अधिक संसाधन आवंटित किए गए। १९७२ में बिना संसदीय आदेश के एफ एस एफ का गठन किया गया तथा अगले वर्ष संसद में अधिनियम द्वारा इसे सरकारी तौर पर लागू किया गया। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्राालय के अन्तर्गत रक्षा उत्पादन प्रभाग स्थापित किया गया। इसके बावजूद सेना में असंतोष था जो सरकार गिराने के लिए सेना तथा वायुसेना अधिकारियों द्वारा रचे गए षडयंत्रा से परिलक्षित होता है।

विपक्षी गठबंधन - पाकिस्तान नैशनल एलाएंस ने एक ही मुद्दे के साथ जन अभियान चला दिया - १९७७ में चुनावों में धांधली के बाद भुट्टो को सत्ता से बाहर खदेड़ना। इससे स्थिति नियंत्राण से बाहर हो गई। इन आंदोलनों के कारण एक बार फिर १९७७ में सेना ने देश की बागडोर जनरल-ज़िया-उल-हक के नेतृत्व में संभाली।

ज़िया का शासनकाल ''पूर्णत: सैनिक शासन'' था। सेना अधिकारियों को न केवल प्रमुख मंत्राालयों जैसे रक्षा, सूचना, गृह, दूर-संचार, आवास एवं श्रम में अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया अपितु उनकी नियुक्ति संयुक्त सचिवों के पदों पर भी कर दी गई। उसने स्टाफ समिति के संयुक्त प्रमुखों तथा स्टाफ के तीन सेवा प्रमुखों के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सेना परिषद का गठन किया। प्रमुख मार्शल लॉ प्रशासक (Chief Martial Law Administrator) को राष्ट्र का चीफ एग्जीक्यूटिव

बनाया गया। मार्शल लॉ के आदेशों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अभिज्ञापन के द्वारा उसने संविधान को निरस्त कर दिया, संघीय तथा प्रान्तीय सभाओं को भंग कर दिया, प्रधानमंत्री तथा अन्य सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया, प्रान्तों के गवर्नरों को पद्च्युत कर दिया गया और पूरे देश पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। आरम्भ में कोर्प्स कमांडरों को प्रान्तों का गवर्नर नियुक्त किया गया। यद्यपि लेफ्टिनेंट जनरल मुहम्मद सावर खान को सेना का उप-प्रमख (Vice Chief) नियुक्त किया गया तथा कमांडर ऑफ आर्मी स्टाफ (सी ओ ए एस) प्रमुख के पद पर बने रहने तक सेना के चीफ को अधिकार प्राप्त सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। वह सेना प्रमुख था परन्तु वरिष्ठता, प्रौन्नतियों तथा नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर वह स्वतंत्रा कार्रवाई नहीं कर सकता था। ज़िया इस समय तीन भूमिकाएं निभा रहे थे - सेना प्रमुख, प्रमुख मार्शल लॉ प्रशासक तथा राष्ट्रपति।

देश पांच सैनिक क्षेत्राों में विभक्त था जो पांच अधिकारियों के अधिकार क्षेत्रा में थे। १९८१ में सात सेवानिवृत्त सेना अधिकारी मंत्राी थे। यद्यपि इस वर्ष सिविलकर्मी नौकरशाही को संघीय मंत्रिामंडल में सहयोगी विकल्प के रूप में रखा गया था, तथापि इसकी भागीदारी गौण थी। नागरिक कार्यों में सेना की भागीदारी से यह कमजोर हुई। यह शिकायत बार-बार की गई कि कई अच्छे-अच्छे सेना अधिकारी जो अपने क्षेत्रा में अनुभव प्राप्त कर रहे थे उन्हें सामान्य सेना सेवाओं के अतिरिक्त मार्शल लॉ के प्रशासन की जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए स्थानांतरित कर उनके कार्य में व्यवधान डाला गया।

भुट्टो के विरूद्ध होने तथा उसके बाद उन्हें जबरन सत्ता से बाहर खदेड़कर ज़िया ने चुनावों का आश्वासन देकर विपक्ष को कमजोर बनाने का प्रयास किया। जवाबदेही के नाम पर विपक्ष की शक्तियों को धीरे-धीरे कमजोर कर दिया गया। उसने इस्लाम के नियमों का समर्थन किया तथा अध्यक्षीय शासन प्रणाली को तरजीह दी। भुट्टो के पकड़े जाने तथा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पतन के उपरान्त पाकिस्तान नैशनल एलाएंस का एकजुट रहने का कोई कारण नहीं था। ज़िया के पार्टी रहित चुनाव व्यर्थ सिद्ध हुए जब सरकार के कई समर्थक चुनाव नहीं जीत सके। १९८० के आरम्भ में गठित विपक्ष के गठबंधन ''मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी'' ने इन चुनावों का बहिष्कार किया।

ज़िया ने धर्म को भी वैधता का माध्यम बनाया। ज़िया द्वारा लाया गया पहला परिवर्तन यह था कि प्रत्येक इकाई के मौलवी का दर्जा बढ़ा दिया गया तथा उसके लिए युद्ध में सेना के साथ जाना अनिवार्य कर दिया गया। अत: जब १९७७ में सैनिक तन्त्रा के हाथ पुन: सत्ता हाथ आई तो धार्मिक प्रवृत्ति के जनरलों का इसमें दबदबा था। मार्च, १९८५ में उसने अपनी इस्लामी नीतियों पर जनमत संग्रह भी करवाया और राष्ट्रपति के रूप में उसका अनुमोदन माना गया। जनता ने ''हाँ'' में अपना मत दिया। अन्य जिन कारणों से ज़िया को वैधता मिली उनमें से प्रमुख था १९७९ में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, यद्यपि उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त के तत्कालीन गर्वनर जनरल फैजल हक ने दावा किया था कि सोवियत हस्तक्षेप से पहले ही केन्द्रीय जांच एजेन्सी (सी आई ए) अफगानिस्तान में विद्रोहियों का सहयोग दे रही थी।

मई १९८८ में ज़िया ने अक्षमता तथा ''इस्लाम के प्रति अविश्वास'' का आरोप लगाते हुए जुनेजो सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि इसका वास्तविक कारण यह था कि जुनेजो सेना तथा सैनिक मामलों में ज़िया की निदेशात्मक भूमिका को कम करना चाहता था। ज़िया ने नई सरकार का गठन किया तथा स्वयं इसका अध्यक्ष बन बैठा। जून में उसने यह घोषणा की कि आज के बाद इस्लामी कानून ही पाकिस्तान के कानून का सर्वोच्च स्रोत होगा तथा कोई भी अन्य नियम जो इस्लामी कानून के अनुरूप नहीं है, उसे खारिज घोषित किया जाएगा। जनरल ज़िया की वायुयान दुर्घटना में असामयिक मृत्यु से देश में १९९९ तक असैनिक शासन की पुनर्स्थापना हो पाई। जनरल मुर्शरफ द्वारा पुन: सैनिक शासन स्थापित करने से पहले चार सरकारें बनीं (बारी-बारी से दो बार बेनजीर भुट्टो की तथा दो बार नवाज़ शरीफ की)।

देश में नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना ज़िया के शासन की प्रमुख विशेषता रही। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना प्रमुख-ट्रोइका-के बीच जो अधिकारों का तालमेल बैठा उससे आने वाले वर्षों में असैनिक-सैनिक संबंधों की दिशा तय हो सकी।

गुलाम इशाक़ खान जनरल ज़िया-उल-हक की मृत्यु के उपरान्त कार्यवाहक राष्ट्रपति बना। उसके समक्ष असैनिक-सैनिक संबंधों को संतुलित रखने का मुश्किल कार्य था। बुर्की (Burki) के अनुसार, सेना को ताक पर रखने के लिए उसे ''वरिष्ठ अधिकारियों को यह दिखाना था कि नवम्बर, १९८८ में निर्धारित चुनावों के अनिवार्य परिणाम के रूप में औपचारिक लोकतंत्रा की ओर वापसी से सेना के सैद्धान्तिक हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए।'' इन हितों में सेना को बजट संसाधनों की बड़ी राशि का आवंटन जारी रखना, परमाणु हथियार विकास कार्यक्रम को सरकार का सहयोग, नजीबुल्ला सरकार के विरूद्ध मुजाहिदीन संघर्ष में पाकिस्तान का निरन्तर शामिल होना तथा भारत के विरूद्ध कठोर रूख अपनाए रखना शामिल थे। बेनजीर भुट्टो को चुनावों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली तथा वह २०४ में से ९२ सीटें ही प्राप्त कर सकी।

कार्यवाहक राष्ट्रपति गुलाम इशाक़ खान ने सरकार बनाने के लिए बेनज़ीर को न्यौता देने से पहले कुछ समय लिया तथा उसे तभी न्यौता दिया गया जब वह सैनिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) तथा विश्व बैंक की सहमति से केयरटेकर सरकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को जारी रखने तथा जनरल ज़िया की विदेश नीति को जारी रखने की कुछ शर्तों को मान गई।

बेनजीर का कार्यकाल इतना कम था कि उसमें किसी प्रकार की कोई गंभीर फूट नहीं पड़ी। क्लाले (Clougley) के अनुसार, वह अपनी पसन्द का सेना प्रमुख चाहती थी। वह सेना के संयुक्त प्रमुख को इस बहाने से बदलकर लेफ्टिनेट जनरल अहमद कमाल खान को लाना चाहती थी कि नौसेना प्रमुख बनने की तिथि से कार्यकाल का आरम्भ मानते हुए उसका तीन वर्ष का कार्यकाल अगस्त, १९८९ में पूरा हो गया था। इसी तर्क के आधार पर सेना प्रमुख जनरल असलम बेग स्टाफ समिति के संयुक्त प्रमुख बनते। राष्ट्रपति द्वारा मामले को शानदार ढंग से संभालने के कारण प्रधानमंत्राी ने इस प्रकरण में अपने कदम पीछे हटा लिए। ''सिरोही मामला'' गर्मागर्म बहस का मुद्दा हो गया तथा प्रधानमंत्राी व राष्ट्रपति के बीच अधिकारों के वितरण की बात उठी। इससे मुद्दे का समाधान नहीं हुआ बल्कि सेना का यह संदेह और पुख्ता हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय पर हुए समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं थीं।

इसी प्रकार से चतुर्थ कोर्प के कमांडर - लेफ्टिनेंट जनरल आलम जन मशूद की सेवा निवृत्ति के उपरान्त सेना के डिप्टी चीफ के रूप में कार्यकाल बढ़ाने में भुट्टो सफल नहीं हुई। तथापि वह इंटर सर्विसिज इंटेलिजेन्स के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल को जलालाबाद में विफलता के उपरांत हटाने तथा उसके स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल रहमान कालूए को लाने में सफल हो गईं किन्तु बेनज़ीर ऐसा जनरल बेग के दबावों के आगे झुककर तथा हमीद गुल को मुलतान के आर्मर्ड स्ट्राइक कोर्प का अध्यक्ष बनाने के बाद ही कर पाई। बेनजीर को ऐसा लगा कि कमांड में परिवर्तन को वाशिंगटन में सराहा जाएगा क्योंकि एजेन्सी की अफगान नीति की संयुक्त राज्य अमेरिका में कड़ी निन्दा हुई थी। इसके अतिरिक्त वह एजेन्सी की शक्तियों को कमजोर बनाना चाहती थी क्योंकि जनरल ज़िया के पिछले ११ वर्ष के शासन के दौरान वह पूरी तरह से घरेलू राजनीतिक गुप्तचर प्रणाली का हिस्सा बन चुकी थी। उसका मानना था कि वह ऐसा करके ही सेना को राजनीति से बाहर रख पाएगी। सेना तथा राष्ट्रपति को यह परिवर्तन स्वीकार करना पड़ा, भले ही अनिच्छा से ऐसा हुआ हो।

विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार गिराने के प्रयास विफल हो गए परन्तु राजनीतिक विकास पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहे। सेना द्वारा सत्ता हथियाने की बार-बार उड़ रही अफवाहों के बावजूद जनरल बेग काफी हद तक लोकतंत्रा के समर्थक रहे। वे जनरल ज़िया के पदचिन्हों पर नहीं चले परन्तु जब राष्ट्रपति ने संविधान के कुत्सित आठवें संशोधन के प्रावधानों के अनुसार यह निर्णय लिया कि भुट्टो को सत्ता छोड़नी होगी तो उसने राष्ट्रपति का समर्थन किया।

उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्राी श्री गुलाम मुस्तफा जटोई की अध्यक्षता में अक्तूबर, १९९० में हुए चुनावों में नवाज शरीफ तथा उसका गठबंधन विजयी हुआ। तथापि वह भी देश में स्थिरता नहीं

ला सका क्योंकि नवाज शरीफ भी बेनजीर की भांति महत्वाकांक्षी था। पी एम एल के अध्यक्ष मुहम्मद खान जुनेजो तथा तत्कालीन सेनाध्यक्ष आसिफ नवाज जनुजो की १९९३ में मृत्यु ने उसे वह अवसर प्रदान कर दिया जिसकी उसे तलाश थी। जनुजो के स्थान पर, कॉन (Cohen) के अनुसार, ''सेवारत कोर्प कमांडरों में से सबसे कम चर्चित चेहरे को लाया गया।'' उसके अनुसार, जनरल अब्दुल वहीद कक्कर के चयन से गुलाम इशाक खान तथा नवाज शरीफ के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। नवाज शरीफ का यह मानना था कि इस प्रकरण पर सेना में कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि नया सेनाध्यक्ष अब्दुल वहीद कक्कड़ राजनीति से अधिक जुड़ा नहीं था परन्तु नवाज शरीफ द्वारा स्वयं निर्णय लेने की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रपति को बेनजीर की ही भांति १९९३ में बर्खास्त कर दिया गया।

शरीफ ने बेनजीर तथा मौहम्मद खान जुनेजो की भांति न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा पूर्व सरकारों के विपरीत उसे पुनर्स्थापित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रपति का रवैया फिर भी असहयोगपूर्ण ही रहा। देश में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे पर्दे के पीछे कार्यशील सेना ने सुलझा लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति दोनों को पद छोड़ना पड़ा। कक्कड़ ने बाद में कहा कि ''मेरे लिए यह एक अभूतपूर्व दृश्य था कि दो समझदार व्यक्ति बच्चों की भांति बर्ताव कर रहे थे। मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मैंने दोनों को पद छोड़ने के आदेश दे दिए।'' जुलाई, १९९३ में मोइन कुरैशी को फिर से केयरटेकर प्रधानमंत्री बनाया गया जो पांच वर्षों में चौथी केयरटेकर सरकार के प्रधानमंत्री बने। आठ वर्षों में चौथी बार होने वाले अक्तूबर, १९९३ के चुनावों के परिणाम अक्तूबर, १९८८ के परिणामों जैसे ही थे। न तो पी एम एल और न ही पी पी पी को पूर्ण बहुमत मिला। बेनजीर भुट्टो को पांच वर्षों में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया गया तथा एक नई टीम बनी - बेनज़ीर, फारूक़ लेघारी तथा अब्दुल वहीद।

आशाओं के विपरीत लेघारी (लेघारी पूर्व पी. पी. पी. सदस्य थे) तथा बेनजीर के बीच द्विपक्षीय मतभेद उत्पन्न हो गए। लेघारी ने बेनजीर से परामर्श किए बिना लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर करामत को तत्काल सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सेना को राजनीतिक बजट तथा हथियारों की खरीद (जिसमें घूस लेने के आरोप लगाए गए) पर असंतोष था किन्तु कुल मिलाकर सेना की भूमिका गौण रही। यह स्पष्ट नहीं है कि दिसम्बर, १९९७ में राष्ट्रपति लेघारी के इस्तीफे पर सेना की क्या भूमिका रही। बेनजीर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपने भाई की हत्या तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में आ गई। अंतिम दो आरोप उसके पति आसिफ ज़रदारी के कारण लगे। इसके परिणामस्वरूप उसे भी पद से बर्खास्त कर दिया गया। एक और केयरटेकर सरकार बनी तथा चुनावों में नवाज शरीफ को पहली बार भारी विजय मिली। राष्ट्रीय सभा में उसे ६६ प्रतिशत तथा प्रान्तीय सभाओं में ४५० सीटों में से ५८ प्रतिशत सीटें मिलीं।

सत्ता की सम्पूर्ण बागडोर अपने हाथ में रखने के प्रयासों के परिणामस्वरूप नवाज़ शरीफ ने संविधान के खंड ५८.२ (ख) को हटा दिया जिसे राष्ट्रपति द्वारा असैनिक सरकारों को बर्खास्त करने के लिए बार-बार उपयोग में लाया जाता था। संविधान के एक अन्य संशोधन में सभाओं के सदस्यों के दल बदलने पर रोक लगी। न्याय पालिका के अधिकारों को कम करने के उसके प्रयासों का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सज्जाद अली शाह ने विरोध किया। वह नियुक्तियों का नियंत्राण अपने पास रखकर न्यायपालिका के अधिकारों को कम करना चाहता था। न्यायालय के मुद्दे की भतर्सना के रूप में मुख्य न्यायाधीश ने पलटवार किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को प्रणाली के अनुसार काम करने का परामर्श देते हुए प्रकरण में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तथा मुख्य न्यायाधीश को पद से बर्खास्त करने से इन्कार कर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की धमकी दी। इस संकट का हल राष्ट्रपति लेघारी के त्यागपत्रा तथा मुख्य न्यायाधीश की बर्खास्तगी के बाद ही निकल सका। नया राष्ट्रपति राफ़िक तरार नवाज़ शरीफ का मित्रा था तथा वह सावधानीपूर्वक कार्य करना चाहता था। इस प्रकार से बुर्की के अनुसार, ''पद संभालने के एक वर्ष के भीतर नवाज़ शरीफ ने इतने अधिकार अपने हाथ में ले लिए जितने कि मुहम्मद अली जिन्नाह तथा मोहम्मद अयूब खान ने अपने-अपने समय में प्राप्त किए थे। तीन अधिकारियों के बीच सत्ता का विभाजन होने की अपेक्षा

यह अधिकांशत: प्रधानमंत्री कार्यालय तक संकुचित हो गई थी। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल करामत ने राजनीतिक अध्यादेश को संस्थागत शक्ति में बदलने तथा संरचनात्मक दृष्टि से वर्गीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने की बात कही जोकि वह सर्वोच्च संस्था होगी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दे पाएगी। उसके बाद जनरल करामत ने त्यागपत्रा दे दिया तथा जनरल परवेज़ मुर्शरफ़ नए सेनाध्यक्ष बने।

एक वर्ष की अवधि में सेनाध्यक्ष के गुप्त रूप से परिवर्तन ने नए घटनाक्रम को जन्म दिया, और वह भी तब जब पदस्थ सेनाध्यक्ष कोलम्बो में थे, तथा सेना ने वह कार्य किया, जिसे पुरानी योजना का नाम दिया गया है। जनरल ज़िया की भांति तथा अयूब और याहया के विपरीत जनरल मुर्शरफ़ ने संविधान को निरस्त नहीं किया है अपितु उसे स्थगित कर ऐसा किया गया है जैसे ''शरीर को बचाने के लिए अंग काटना।'' मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है। उसने यह भी घोषणा की कि ''सेना देश की बागडोर तब तक ही संभालेगी जब तक कि पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्रा का रास्ता साफ नही हो जाता।'' उसकी सुप्रसिद्ध सात सूत्री योजना में बताए गए विभिन्न उद्देश्यों में प्रमुख हैं- अन्तर्प्रान्तीय असद्भाव को दूर करने के लिए कानून एवं व्यवस्थाओं को पुन: स्थापित करने तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साथ-साथ राज्य संस्थाओं का अराजनीतिकरण करना, सत्ता की निचले स्तर तक पहुंच तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना।

कार्यकारी प्रमुख, जनरल परवेज मुर्शरफ़ की अन्तरण योजना जनरल अयूब की मूलभूत लोकतंत्रा योजना की याद दिलाती है। इस योजना के अन्तर्गत सरकारी चुनाव कराए गए हैं। विकास परियोजनाओं को चलाने में स्थानीय जनसंख्या को भागीदार बनाने के लिए ज़िला, तहसील तथा केन्द्रीय परिषद के चुने गए प्रतिनिधियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

नैशनल अकाउंटेबिल्टी बोर्ड की स्थापना के माध्यम से भ्रष्टाचार कम करने का दावा किया गया है। भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामलों को अटोक फोर्ट कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है जिसे बोर्ड का पुलिस स्टेशन कहा जाता है।

देश में इस वर्ष के अंत में चुनावों के मद्देनजर सैनिक सरकार ने संविधान में कई संशोधनों का सुझाव दिया है जिससे चुने गए प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल तथा संसद को बर्खास्त करने के मामले में राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि होगी। राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री नियुक्त करने का भी अधिकार होगा। संसद की अवधि पांच वर्ष से घटाकर ४ वर्ष करने तथा मताधिकार आयु कम करके १८ वर्ष करने की योजना सरकार की है।

सेना के प्रतिनिधियों के वर्चस्व वाली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एन एस सी) के अधिकार चुनी गई संसद से अधिक होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे जबकि प्रधानमंत्री, चार प्रान्तों के मुख्यमंत्री स्टाफ समिति के ज्वायंट चीफ अध्यक्ष, पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के सेनाध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता इसके सदस्य होंगे। यद्यपि इसे परामर्शदात्री फोरम कहा गया है तथापि इसका अध्यादेश व्यापक है तथा इसमें राज्य की प्रभुसत्ता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े नीतिगत मामले; संघीय लोकतंत्रा और अभिशासन की संरचनाएँ, प्रणाली तथा स्थिति; संघीय अथवा प्रान्तीय मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी; राष्ट्रीय सभा अथवा रियासतों की सभाओं को भंग करना तथा आपातकाल की घोषणा शामिल हैं।

राष्ट्रपति मुशर्रफ़, जिन्होंने विवादास्पद धांधलीपूर्ण जनमत संग्रह के माध्यम से आगे ५ वर्ष की अवधि के लिए स्वयं को पहले ही राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, सेनाध्यक्ष के पद पर भी बने रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना से अक्तूबर में होने वाले चुनावों के उपरान्त देश की नई राजनीतिक व्यवस्था में सेना का दबदबा बने रहने की गंभीर आशंका को बल मिलता है।

बोध प्रश्न २

नोट : अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए खाली स्थान को उपयोग में लाएँ।

अपने उत्तर की जांच अध्याय के अंत में दिए गए उत्तर से करें ।

१) सेना द्वारा सत्ता हथियाने के पीछे कौन-कौन से कारक उत्तरदायी हैं? विभिन्न मतों पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

२) विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान को मिली सेना की क्या विशेषताएँ थीं ?

.....

.....

.....

३) जनरल अयूब खान तथा जनरल ज़िया-उल-हक के अन्तर्गत सैनिक प्रणालियों की तुलना करते हुए दोनों में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

.....

.....

.....

४) १९८९-१९९९ के असैनिक सत्ता अंतराल में सेना की भूमिका की विवेचना कीजिए।

.....

.....

.....

८.५ सारांश

पाकिस्तान का जन्म भारतीय उप-महाद्वीप में से १९४७ में दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के आधार पर हुआ और इसका अधिकांश श्रेय राष्ट्रपिता, मोहम्मद अली जिन्नाह को जाता है जिन्हें आमतौर पर कायद-ए-आज़म भी कहा जाता है। विभाजन के उपरान्त सेना दोनों राष्ट्रों-भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर सौंपी गई। कई कारणों से देश लोकतांत्रिक शासनतंत्रा के रूप में नहीं उभर सका। संविधान से लेकर संसद तक राजनीतिक संस्थाओं में परिपक्वता नहीं आई तथा मौजूदा व्यवस्था का ह्रास होता चला गया। इस प्रकार उत्पन्न हुई राजनीतिक शून्य की स्थिति में जिस संगठित संस्था ने कदम रखा, वह सेना थी। कहानी का यहाँ अंत नहीं होता, दूसरे शब्दों में, यह कभी न खत्म होने वाली कहानी है क्योंकि तब से लेकर आज तक पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास म्यूज़िकल चेयर का खेल रहा है जिसमें कभी सैनिक तो कभी असैनिक व्यवस्था स्थापित हो जाती है जो हर बार राजनीतिक अस्थायीत्व को बढ़ावा देती है। तथापि, यह कहना असंगत न होगा कि बीच-बीच में भले ही नाममात्रा को लोकतंत्रा की स्थापना होती रही हो, वास्तव में देश की बागडोर सेना के हाथ में ही रही है।

८.६ शब्दावली

दो राष्ट्रों का सिद्धान्त: धर्म राष्ट्रत्व का आधार है। मुस्लिम तथा हिन्दू दो राष्ट्र थे, विभाजन के लिए मुस्लिम लीग ने इसे आधार बनाया।

राजनीतिक शून्य: यह वह स्थिति है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था चरमरा जाती है तथा ऐसी कोई अकेली संस्था नहीं होती जो सत्ता संभाल सके।

प्रीटोरियनवाद: सैनिक शासन।

नागरिक-सैनिक संबंध: असैनिक संस्थाओं तथा सेना के मध्य संबंध, विशेषकर दोनों के बीच सत्ता की स्थिति स्पष्ट करने वाले।

इस्लामीकरण: देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इस्लाम के सिद्धान्तों को अपनाना।

८.७ कुछ उपयोगी पुस्तकें

बुर्की, एस जे *पाकिस्तान अंडर भुट्टो, १९७१-७७* (मैकमिलन, लंदन, १९८८)।

कालार्ड कीथ, पाकिस्तान: *ए पोलिटिकल स्टडी (एलेन एंड अनविन, १९५७)।*

क्लॉले ब्रायन, *ए हिस्टरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी: वार्स एंड इन्सरेक्शंस*(ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कराची, १९९९)।

कोहेन स्टीफन पी, *द पाकिस्तान आर्मी* (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कराची, १९९८ सम्पादक)।

गार्देजी हसन एंड रशीद ज़मील, पाकिस्तान, *द स्टेट्स डिक्टेटरशिप* (जेड प्रेस, जलाल आयशा, द स्टेट ऑफ मार्शल लॉ, (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, १९९०)।

कुकरेजा, वीना, *सिविल मिलिटरी रिलेशन्स इन पाकिस्तान : पाकिस्तान बंगलादेश एंड इंडिया* (सेज, १९९१)।

रिज़वी हसन अस्करी, *द मिलिटरी एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान* (प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स, लाहौर, १९८६)।

रिज़वी हसन अस्करी, *द मिलिटरी, स्टेट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान* (मैकमिलन, यू के , २०००)।

शाकत सईद, *सिविल मिलिटरी रिनेशंस इन पाकिस्तान : फ्रॉम जुल्फीकार अली भुट्टो टू बेनजीर भुट्टो* (वेस्टव्यू प्रेस, यू के , १९९७)।

ज़िरिंग लॉरेंस, *पाकिस्तान इन द ट्वैन्टियथ सैंचुरी : ए पोलिटिकल हिस्टरी* (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९९९)।

८.८ बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न १

१) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) विभाजन से उत्पन्न समस्याएँ, (ii) नेतृत्व का पतन, संविधान में विलम्ब और (iii) धर्म की भूमिका।

२) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) मुस्लिम लीग की स्थिति, (ii) पाकिस्तान की माँग, और (iii) संस्था की प्रकृति व पतन।

बोध प्रश्न २

१) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) विकासशील समाजों में प्रीटोरियनवाद, (ii) हटिंगटन, लुशियन पाई इत्यादि के मत, और (iii) पाकिस्तान के संबंध में उनकी तर्कसंगतता।

२) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) ब्रिटिश भारत में मुस्लिम रेजीमेंटों की कमी, (ii) संजातीय संरचना में पंजाब के लोगों का वर्चस्व, और (iii) सुप्रशिक्षित, संगठित, असैनिक कार्यों में भी भूमिका।

३) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) मूल लोकतंत्रवादियों तथा सिविल सेवाकर्मियों पर अयूब की निर्भरता, (ii) इस्लामीकरण, संविधान, आई एस आई पर ज़िया की निर्भरता, और (iii) बाहरी कारकों की भिन्न-भिन्न भूमिका।

४) अपने उत्तर में इन बिन्दुओं को शामिल करें: (i) बेनजीर द्वारा सत्ता संभालना और सेना का नियंत्राण, मतभेद, (ii) नवाज़ शरीफ़ का प्रधानमंत्री बनना और सेना के साथ संबंध, और (iii) दूसरे चरणों में दोनों के मध्य अस्थायी संतुलन, विफलताएँ।